अध्याय – 7

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

संख्या–3/एम०–054/08 का०–7020/ बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्तों के निर्धारणार्थ निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।–(1) यह नियमावली बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार (मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा शर्तें) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।–जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008);

(ख) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार;

(ग) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008;

(घ) 'मुख्य चुनाव पदाधिकारी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नाम निर्दिष्ट मुख्य चुनाव पदाधिकारी;

(ङ) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

3. वेतन एवं भत्ते।– मुख्य चुनाव पदाधिकारी ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ते उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी को अनुमान्य हो।

4. (1) सेवानिवृत्त पदाधिकारी के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट होने पर ऐसा मुख्य चुनाव पदाधिकारी, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने का हकदार होगा जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसके वेतन में से मूल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जायेगा तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ पृथकतः करने का हकदार होगा।

(2) यदि वह उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए की जायेगी। यह प्रावधान कार्यरत पदाधिकारी की मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति के मामले में लागू होगा।

5. पंक्ति और स्तर।–मुख्य चुनाव पदाधिकारी की श्रेणी और प्रतिष्ठा उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी के अनुरूप अनुमान्य होगी।

6. छुट्टी।–मुख्य चुनाव पदाधिकारी निम्नलिखित रूप से छुट्टी का हकदार होगा:–

(क) राज्य सरकार में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश।

(ख) बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्त्तित छुट्टी।

(ग) बिहार सेवा संहिता के अधीन यथाअनुमान्य असाधारण छुट्टी।

7. मकान भाड़ा भत्ता।—मुख्य चुनाव पदाधिकारी, सरकार के नियमों के अंतर्गत मकान भाड़ा भत्ता का हकदार होगा।

8. यात्रा भत्ता।—मुख्य चुनाव पदाधिकारी को ऐसी यात्रा भत्ता अनुमान्य होगी जो यात्रा भत्ता उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी को अनुमान्य है।

9. इस नियमावली में मुख्य चुनाव पदाधिकारी की जिन सेवा—शर्तों के लिए स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है वे वही होंगी जो समय—समय पर उसकी पंक्ति एवं स्तर के राज्य सरकार के पदाधिकारी के निमित्त लागू होंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—03/एम०—54/2008 का०—7020 पटना—15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 10 प्रतियाँ, महाधिवक्ता, बिहार, पटना, 10 प्रतियाँ सहकारिता विभाग, 10 प्रतियाँ मानव संसाधन विकास विभाग, 10 प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग तथा 10 प्रतियाँ विधि विभाग तथा 450 (चार सौ पचास) प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करा दें।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—03/एम०—54/2008 का०—7020 पटना—15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि—सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना—15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

संख्या—03/एम०—54/2008 का०—7021/ अधिसूचना संख्या 7020 दिनांक 27.10.08 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत—संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

Personnel and Administrative Reforms Department

NOTIFICATION

Patan, Dated 27 Oct., 2008

No. 03/M.-54/2008 Ka -7020/ In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section-4 of the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008), the State Government makes the following Rules for determination of Service Conditions of the Chief Election Officer of the State Election Authority:—

1. *Short title and Commencement.*— (1) These Rules may be called the Bihar State Election Authority (Service Conditions of the Chief Election Officer) Rules, 2008.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions.*— In these Rules, unless the context otherwise requires-

(a) 'Act' means the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008);

(b) 'Authority' means Bihar State Election Authority;

(c) 'Rules' means the Bihar State Election Authority Rules, 2008;

(d) 'Chief Election Officer' means the Chief Election Officer nominated under subsection (2) of section 3 of the Act; and

(e) The words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. *Salaries and Allowances.*— The Chief Election Officer shall be entitled to such pay and allowances as admissible to the officer of the State Government of his rank and status.

4. (1) In the case of nomination of retired officer as Chief Election Officer, such Chief Election Officer shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment, be entitled to draw his pension and retirement benefits as per the rules applicable to the service to which he belonged with effect from the date of his appointment as Chief Election Officer, provided that, in such an event his pay as Chief Election Officer shall be reduced by an amount equivalent to the basic pension including any portion of the pension which may have been commuted and the pension equivalent to other retirement benefit and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately.

(2) If he does not exercise the option specified in subsection (1), he shall count his service as Chief Election Officer for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment. This provision shall be applicable in the case of appointment of working officer as Chief Election Officer.

5. *Rank and Status.*—The rank and status of the Chief Election officer shall be admissible according to the officer of the State Government of his rank and status.

6. *Leave.*— The Chief Election Officer shall be entitled to leave as follows:-

(a) Casual Leave as admissible in the State Government.

(b) Earned Leave, half pay leave and Commutated leave in accordance with the Bihar Service Code.

(c) Extra-ordinary leave under the Bihar Service Code.

7. *House Rent Allowance.*— The Chief Election officer shall be entitled to House Rent Allowance as per Government Rules.

8. *Travelling Allowance.*— The Chief Election Officer shall be entitled to Travelling Allowance as admissible to the Offcer of the State Government of his rank and status.

9. The Conditions of service of the Chief Election Officer for which no express provisions has been made in these Rules shall be such as applicable to the officer of the State Government of his rank and status.

By the order of the Governor of Bihar

Saryug Prasad

Deputy Secretary to Government

ज्ञापांक–03/एम०–54/2008 का०–7021 पटना–15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

---

[2]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञापांक–03/एम०–53/2008 का०–6508 पटना–15, दिनांक 25. 09. 2008

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

*अनौपचारिक वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

रूप से

परामर्शित द्वारा:–वित्त विभाग, बिहार, पटना।*

विषय– बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के उप मुख्य चुनाव पदाधिकारियों के सहायतार्थ कर्मचारियों के पदों का अनुमानित रु० 1,20,900/–(एक लाख बीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र के व्यय पर सृजन।

2. आदेश–स्वीकृत।

3. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा–3 (1) के तहत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–3 (2) के अनुसार प्राधिकार में उतने उप मुख्य चुनाव पदाधिकारी भी होंगे जितने राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। अतः उप मुख्य चुनाव पदाधिकारियों द्वारा उनके कर्त्तव्यों के सम्पादन में सहायतार्थ तत्काल आशुलिपिक के एक पद के सृजन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति के फलस्वरूप प्रदान की जाती है।

क्रं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	आशुलिपिक	01	4000–6000/	गैर–संवर्गीय जिस पर नियुक्ति राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

4. उपर्युक्त पद पर होने वाले व्यय का विकलन बजट शीर्ष–"2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–00–800–अन्य व्यय–0017–बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु–N-गैर योजना" के अंतर्गत विपत्र कोड–N-2070008000017 के अंतर्गत होगा। व्यय विवरणी संलग्न है।

5. यू०ओ०आर० नं० 3750 दिनांक 09.09.2008 द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–03/एम०–53/2008 का०–6508 पटना–15, दिनांक 25.09.2008

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना–15, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–03/एम०–53/2008 का०–6508 पटना–15, दिनांक 25.09.2008

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में (एक प्रति बजट शाखा एवं एक प्रति प्रशासी पदवर्ग समिति हेतु)/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, लेखा शाखा को (दो प्रतियों में)/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–3/एम०–39/2008 का०–3228

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

*अनौपचारिक वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

रूप से

परामर्शित द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार, पटना।* पटना–15, दिनांक 30. 05. 2008

विषय–बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों के सृजन एवं तीन वाहनों (यथा एक ए०सी० एम्बेस्डर, एक नन ए०सी० एम्बेस्डर तथा एक मारुति जिप्सी) का क्रय पर अनुमानित व्यय 64,18,632/– (चौसठ लाख अठारह हजार छः सौ बत्तीस) रुपये।

(2) आदेश :– स्वीकृत।

(3) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा–3 (1) के तहत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार प्राधिकार में एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी एवं उतने उप मुख्य चुनाव पदाधिकारी होंगे, जितना राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे। उक्त अधिनियम की धारा 4 (3) में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(4) अतः प्राधिकार के कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों के सृजन और तीन वाहनों (एक ए०सी० एम्बेसडर, एक नन ए०सी० एम्बेसडर, तथा एक मारुति जिप्सी) के क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्राधिकार के सचिव (बि०प्र०से० के निदेशक स्तर में)	1	16400–20000	
2	संयुक्त सचिव (बि०प्र०से०)	1	14300–18300	
3	उप सचिव (बि०स०से०)	1	12000–16500	
4	अवर सचिव (बि०स०से०)	1	10000–15200	
5	प्रशाखा पदाधिकारी (बि०स०से०)	2	6500–10500	
6	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	1	5500–9000	
7	सहायक (बि०स०से०)	4	5500–9000	
8	आप्त सचिव	1	6500–10500	

9	कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक	1	5000–8000	
10	आशुलिपिक	3	4000–6000	
11	लेखापाल	1	4000–6000	
12.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	4000–6000	
13	निम्न वर्गीय लिपिक	6	3050–4590	
14	वाहन चालक	3	3050–4590	
15	कोषागार सरकार	1	2750–4400	
16	पदचर	1	2550–3200	

(5) उपर्युक्त पदों के सृजन एवं वाहन क्रय पर चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु० 64,18,632 (चौसठ लाख अठारह हजार छः सौ बत्तीस रुपये) मात्र व्यय होने का अनुमान है, जो बजट शीर्ष "2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–00–800 अन्य व्यय–0017–बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु -N- गैर योजना" के अन्तर्गत विपत्र कोड N—2070008000017 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(6) यू०ओ०आर० नं० 250 / F-7, दिनांक 16.05.08 द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(7) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–03 / एम०–39 / 2008 का०–3228 पटना–15, दिनांक 30.05.2008

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना–15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–03 / एम०–39 / 2008 का०–3228 पटना–15, दिनांक 30.05.2008

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, (दोहरी प्रति में–एक बजट शाखा एवं एक प्रशासी पदवर्ग समिति हेतु) / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (लेखा शाखा / प्रशाखा–1 / प्रशाखा–4 / प्रशाखा–14 / प्रशाखा–15 / प्रशाखा–17) / राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव।

निबंधन सं० पी०टी०–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1930 (श०)

(सं० पटना 334) पटना, शनिवार, 17 मई 2008

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

16 मई 2008

अधिसूचना सं०–03/एम०–38/2008 का०–2921 का०–बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा–3 की उप–धारा (3) एवं (4) के अंतर्गत राज्य सरकार श्री एन०एस० माधवन, भा०प्र०से० (1975) को राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि के प्रभाव से नियुक्त करती है।

श्री एन०एस० माधवन, भा०प्र०से० (1975) की उक्त पद पर यह नियुक्ति 5 वर्षों या 70 वर्षों की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए होगी। उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण नियमावली के तहत किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

निबंधन सं० पी०टी०–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1930 (श०)

(सं० पटना 326) पटना, मंगलवार, 13 मई 2008

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

13 मई 2008

अधिसूचना सं० 3/एम०–48/2008–2796 का०—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा–16 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह नियमावली ''बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।–इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) 'निर्वाचन पदाधिकारी' से अभिप्रेत है निर्वाचन कराने के लिए प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी;

(ii) 'प्राधिकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार; तथा

(iii) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) में समनुदेशित किये गये हैं।

अध्याय–2

निर्वाचन प्राधिकार की कार्य प्रक्रिया

3. निर्वाचन प्राधिकार के कृत्य एवं शक्ति।–राज्य निर्वाचन प्राधिकार का कार्य बिहार अधिनियम 14, 2008 की धारा–4 की उप–धारा (1) के अनुसार सहकारी सोसाइटी, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति या अन्य किसी

संस्था या संगठन या स्थापना या ऐसे निकायों या उनके समूह जिसके संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिश्चय करे, में प्रबंध समिति का निर्वाचन कराना होगा। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार को मतदाता सूची का निर्माण तथा निर्वाचन संचालन हेतु पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति, प्राधिकारिता तथा अधिकारिता होगी।

4. प्राधिकार का अध्यक्ष।– बिहार अधिनियम 14, 2008 की धारा–3 की उप–धारा (2) में यथा उपबंधित प्राधिकार की अध्यक्षता एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

5. प्राधिकार के कार्यों का संव्यवहार।– मुख्य चुनाव पदाधिकारी को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु उतने उप–मुख्य चुनाव पदाधिकारियों की सहायता मिल सकेगी जितने कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

6. प्रशासनिक मशीनरी।–(1) प्राधिकार को राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जैसा कि इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हो और जैसा कि इस प्रयोजनार्थ पद सृजित किया गया हो। इसके अलावे प्राधिकार द्वारा निर्वाचन संचालन के लिए राज्य सरकार उसे आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध करायेगी।

(2) निर्वाचन संचालन के लिए निर्वाचन प्राधिकार, जिला दण्डाधिकारी, अनुमण्डल पदधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी, जैसा कि वह उचित समझे, को संस्था या संगठन या स्थापना के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदनामित कर सकेगा और निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक पदाधिकारियों को उप–निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदनामित कर सकेगा।

7. किसी संस्था या स्थापना या संगठन या ऐसे किसी निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन के प्रयोजनार्थ प्राधिकार ऐसी संस्था या स्थापना या संगठन या अन्य निकाय के संबंध में लागू सुसंगत अधिनियम अथवा/और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई करेगा। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार को विनियमावली अथवा/और विनियमावलियाँ बनाकर और/अथवा कार्यपालक आदेश निर्गत कर व्यवस्था करने की शक्ति होगी।

अध्याय–3

प्राधिकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, अपील एवं सेवाशर्त्तें

8. (1) वेतनमान 5000–8000 से ऊपर के पदों के विरुद्ध पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी। वेतनमान 5000–8000 तक के पद गैर–संवर्गीय होंगे और ऐसे पदों पर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकार सक्षम होगा। उक्त पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकार मुख्य चुनाव पदाधिकारी होगा। वेतनमान 5000–8000 तक के पदों के विरुद्ध नियुक्त कर्मी सचिवालय के किसी सेवा या संवर्ग के अंग नहीं माने जायेंगे।

(2) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्राधिकार में पदस्थापन की अवधि में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

(3) प्राधिकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्त सेवाशर्तें, अनुशासन एवं अपील आदि राज्य सरकार में इस प्रयोजनार्थ लागू नियमावलियों से शासित होंगी।

अध्याय–4

पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, शक्ति एवं अधिकारिता

9. पर्यवेक्षक का नाम निर्देशन।– राज्य निर्वाचन प्राधिकार एक या एक से अधिक पर्यवेक्षकों का जो राज्य सरकार का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से ऊपर की कोटि एवं वेतनमान का पदाधिकारी नहीं होगा, किसी संस्था या स्थापना या संगठन या ऐसे निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों पर निगरानी रखने के लिए और अन्य कृत्यों को करने के लिए जैसा कि उसे निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सौंपा जाय, नाम निर्दिष्ट कर सकेगा;

परन्तु यह कि राज्य स्तरीय संस्थाओं या स्थापनाओं या संगठनों में निर्वाचन या निर्वाचनों के प्रसंग में प्रखंड विकास पदाधिकारी से उच्चतर कोटि के पदाधिकारी का नाम निर्देशन पर्यवेक्षक के रूप में किया जा सकेगा।

10. पर्यवेक्षकों की शक्तियाँ एवं अधिकारिता।– (1) पर्यवेक्षक निर्वाचन के स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए समुचित पर्यवेक्षण रखेगा और निर्वाचन का संचालन के लिए प्रतिनियुक्त या कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी उसे समुचित सहयोग देंगे।

(2) नियम–9 के अधीन नामनिर्दिष्ट पर्यवेक्षक को परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी को निदेशित करने की शक्ति होगी, यदि पर्यवेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों पर या मतदान के लिए नियुक्त स्थानों पर कब्जा किया गया हो या मतों की गणना या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों या मतदान के लिए नियत स्थान पर निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा से अविधिपूर्ण तरीके से ले लिये गये हों, या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिये गये हों खो गये हों या उस सीमा तक बिगाड़ दिये गये हों या या छेड़–छाड़ की गयी हो कि मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।

(3) जहाँ पर्यवेक्षक मतों की गणना रोकने के लिए या परिणाम घोषित नहीं करने के लिए इस नियम के अधीन निर्वाचन पदाधिकारी को निदेशित करे, वहाँ पर्यवेक्षक तत्काल राज्य निर्वाचन प्राधिकार को मामले की रिपोर्ट देगा और उस पर राज्य निर्वाचन प्राधिकार सभी तात्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात समुचित निदेश जारी करेगा।

स्पष्टीकरण– नियम–9 के प्रयोजनार्थ 'पर्यवेक्षक' में राज्य निर्वाचन प्राधिकार का ऐसा पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिसे इस नियम के अधीन किसी संस्था या स्थापना या संगठन या निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने का कर्त्तव्य राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सौंपा गया हो।

अध्याय–5

निर्वाचन याचिका

11. निर्वाचन याचिका।– किसी निकाय के किसी पद के निर्वाचन को सिवाय निर्वाचन याचिका के प्रश्नगत नहीं किया जायेगा;

परन्तु यदि किसी निकाय के किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो निर्वाचन याचिका उस प्राधिकार के समक्ष दायर होगी जैसा कि संबंधित संस्था या स्थापना या संगठन या निकाय से संबंधित अधिनियम अथवा/ और नियमावली में प्रावधानित है। जहाँ ऐसा कोई प्राधिकार उपबंधित नहीं है वहाँ याचिका उस मुन्सिफ के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी संस्था या स्थापना या संगठन या निकाय अवस्थित हो।

12. निर्वाचन याचिका का प्रार्थी प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को जोड़ेगाः—

(क) जहाँ प्रार्थी ऐसी घोषणा करने के दावे के अतिरिक्त कि सभी या किन्हीं निर्वाचन अभ्यर्थियों का निर्वाचन अवैध है, अन्य घोषणा का भी दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यकरूप से निर्वाचित किया गया है, प्रार्थी के अलावा सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और जहाँ कोई ऐसी अन्य घोषणा का दावा नहीं किया जाय तो सभी निर्वाचित अभ्यर्थी को, और

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप को याचिका में लगाया गया हो।

13. निर्वाचन याचिका दाखिल करने की फीस सहित प्रक्रिया।— निर्वाचन याचिका दाखिल करने की फीस सहित प्रक्रिया वही होगी जैसा कि सुसंगत अधिनियम और/अथवा नियमावली में विहित है;

परन्तु जहाँ ऐसा उपबंध प्रासंगिक अधिनियम और/अथवा नियमावली में नहीं है वहाँ ऐसी फीस एवं प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचन प्राधिकार के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया जा सकेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप—सचिव।

13 मई 2008

सं० 3/एम०—48/2008—2797 का०—अधिसूचना संख्या 2796, दिनांक 13 मई, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत—संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप—सचिव।

PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

The 13th May, 2008

No. 3/M-48/2008-2796 Ka— In exercise of powers conferred under sub- section (1) of section-16 of the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008), the State Government makes following Rules:-

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) These Rules may be called " Bihar State Election Authority Rules, 2008".

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions.*— In these Rules, unless any thing is required in the context:

   (i) ' Election officer' means an officer authorized by the Authority to conduct election;

   (ii) " Authority" means the Bihar State Election Authority; and

   (iii) The words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008).

CHAPTER 2

PROCEDURE OF FUNCTIONING OF THE ELECTION AUTHORITY

3. *Function and Powers of the Election Authority.*— The function of the Election Authority shall be to conduct elections to the Managing Committee of the Co- operative Society, Shiksha Samiti, Health Society or any other institution or organization or establishment or such bodies or its group, in respect of which the State Government decides by notification , in accordance with subsection (1) of Section -4 of the Bihar Act 14, 2008. For this purpose, the Election Authority shall have power, authority and jurisdiction for exercising superintendence, direction and control of the prepartion of electoral rolls and conduct of elections.

4. *Head of the Authority.*—The Authority shall be headed by a Chief Election Officer according to sub- section (2) of section-3 of the Bihar Act 14, 2008

5. *Transaction of business of the Authority.*— For discharge of his duties and responsibilities, the Chief Election Officer may be assisted by as many Deputy Chief Election Officers as the State Government may by notification appoint.

6. *Administrative Machinery.*—(1) The State Government shall make available to the Authority such Officers and employees as may be necessary for discharge of functions conferred on it under this Act and as the posts are created for this purpose. In addtition, the State Government, when so requested by the Election Authority, will make available such number of officers and employees as may be required for conduct of elections.

   (2) The Election Authority, for conduct of election, shall designate or nominate District Magistrate, Sub- Divisonal Magistrate, Block Development Officer, Circle Officer or such other officer it may

deem fit and proper as Election Officer for election of each institution, organization, establishment and may even designate one or more officer as Deputy Election Officer for assistance of Election Officer.

7. For the purpose of conduct of election or elections in an institution or establishment or organization or group of such bodies, the Authority shall take necessary action under the appropriate Act/ Rules in force for such institution or establishment or organization or other bodies. For this purpose the Authority shall have powers to make arrangements by way of making regulation or/ and regulations and / or by issuing executive instructions.

CHAPTER 3

APPOINTMENT, APPEAL AND SERVICE CONDITIONS OF OFFICERS AND STAFF OF THE AUTHORITY

8. (1) With respect to the posts above the pay scale of Rs. 5000-8000, the services of officers and employees shall be made available by the State Government. The posts up to the pay scale of Rs. 5000-8000 shall be ex-cadre and the Authority shall be competent to make appointment on such posts. For the said posts the Chief Election Officer shall be the appointing authority. The persons appointed against the posts upto the scale of Rs. 5000-8000 shall not be the part of any service or cadre of the Secretariat.

(2) The officers and employees made availabe by the State Government to serve in the Authority shall remain under the administrative control of the Chief Election Officer during their posting in the Authority.

(3) All the service conditions, Discipline and Appeal etc. of the officers and employees of the Authority shall be governed by the Rules in force for such purpose in the State Government.

CHAPTER 4

APPOINTMENT, POWER AND JURISDICTION OF OBSERVERS

9. *Nomination of Observer.—* The State Election Authority may nominate one or more observers who shall be an officer of the State Government not above the rank and pay scale of Block Development Officer to watch the conduct of election or elections in an institution or establishment or oganization or group of such bodies and to perform such other functions as may be entrusted to him by the State Election Authority:

Provided that in respect of election or elections in State level institution or establishment or organization, an observer above the rank of Block Development Officer may be nominated.

10. *Powers and Jurisdiction of Observers.—* (1) The observer shall keep proper watch and supervision for fair and peaceful conduct of election and all the officers and employees deputed for conduct of election shall co- operate with him properly.

(2) The observer nominated under rule 9 shall have the power to direct the election officer to suspend the counting of votes at any time before the declaration of the result or not to declare the result, if in the opinion of the observer booth capturing has taken place at a large number of polling stations or at places fixed for the poll or counting of votes or any ballet papers used at a polling

station or at place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of election officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained.

(3) Where an observer has directed the election officer under this rule to stop counting of votes or not to declare the result, the observer shall forthwith report the matter to the State Election Authority and thereupon the State Election Authority shall after taking all material circumstances into account, issue appropriate direction.

Explanation— For the purposes of rule 9, 'Observer' shall include such officer of the State Election Authority also as has been assigned under this rule the duty of watching the conduct of election or elections in any institution/ establishment / organization or group of such bodies by the State Election Authority.

CHAPTER-5

ELECTION PETITIONS

11. *Election Petitions.*—No election to a post of a body shall be called in question except by an election petition;

Provided that if an election to any office of a body is under dispute, the election petition shall lie before such authority as is prescribed under the Act and/or Rules regulating such body or where administration and functioning of such body is not regulated by any statutory provision, before the Munsif in whose jurisdiction such institution or establishment or organization or body is situated.

12. *A petitioner shall add as a respondent to this petition:–* (a) Where the petitioner, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidates has been duly elected, all the contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates; and

(b) Any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition.

13. *Procedure for filing Election Petition including fee.*—The procedure for filing election petition including fee shall be the same as is prescribed under the appropriate Act and/or Rules;

Provided that if there is no such provision in such Act and/ or Rules, the fee and procedure shall be determined by the State Government on the advice of Election Authority by publication of notification in the official gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SARYUG PRASAD,
Deputy Secretary to Government

निबंधन सं० पी०टी०–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1930 (श०)

(सं० पटना 325) पटना, मंगलवार, 13 मई 2008

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

13 मई 2008

अधिसूचना सं०–3/एम०–38/2008–2794 का०– बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा–1 की उप–धारा (3) तथा धारा–3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्य सरकार, दिनांक 23 अप्रील, 2008 के प्रभाव से उक्त अधिनियम का प्रवृत होना तथा राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठित होना अधिसूचित करती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप–सचिव

13 मई 2008

सं०–3/एम०–38/2008–2795 का०– अधिसूचना संख्या 2794 दिनांक 13 मई, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत–संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप–सचिव।

The 13th May 2008

No. 3/M-38/2008-2794 Ka— In exercise of powers conferred under sub- section (3) of section -1 and sub- sections (1) of section-3 of the Bihar State Election Authority Act, 2008 (Bihar Act 14, 2008), the State Government notifies enforcement of the said Act and constitution of State Election Authority with effect from 23rd April, 2008.

By order of the Governor of Bihar,
SARYUG PRASAD,
Deputy Secretary to Government.

निबंधन सं० पी०टी०–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख 1930 (श०)

(सं० पटना 280) पटना, बुधवार, 23 अप्रील 2008

विधि विभाग

अधिसूचना

23 अप्रील, 2008

सं० एल०जी०–1–06/2008/लेज : 90— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 18 अप्रील, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

(बिहार अधिनियम 14, 2008)

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावना।— चूँकि, बिहार राज्य में काफी बड़ी संख्या में निकाय एवं संस्थाएँ हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासित होते हैं,

और, चूँकि, सहकारी समितियाँ निर्वाचित प्रबंध समितियों द्वारा शासित होती हैं,

और, चूँकि, विद्यालय शिक्षा समितियों जैसी समान संस्थाएँ/स्थापना भी हैं, जो निर्वाचित निकायों द्वारा शासित एवं प्रबंधित होती हैं,

और, चूँकि, ऐसी संस्थाओं/स्थापनाओं/संगठनों में निर्वाचित निकायों का चुनाव कराने के लिए सम्प्रति विभिन्न प्रकार के निकाय हैं, जो किसी एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा विनियमित नहीं हैं,

और, चूँकि, उक्त निकायों के लिए निर्वाचन कराने के लिए समान प्रक्रिया का प्रावधान किया जाना लोकहित में आवश्यक समझा गया है,

और, चूँकि, उक्त उद्देश्य की पूर्ति के प्रयोजनार्थ, राज्य निर्वाचन आयोग की तरह एक प्राधिकार की स्थापना करना आवश्यक समझा गया है, जिसे सहकारी समितियों, शिक्षा समितियों या अन्य किसी संस्था/स्थापना/संगठन जहाँ निर्वाचित निकाय का गठन अपेक्षित है, में निर्वाचन सम्पन्न कराने का कर्त्तव्य एवं दायित्व सौंपा जायेगा।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**— (1) यह अधिनियम बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विहित करे।

2 **परिभाषाएँ।**—(क) "राज्य निर्वाचन प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–3 के अधीन गठित प्राधिकार;

(ख) "सहकारी समिति" से अभिप्रेत है बिहार सरकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में परिभाषित सहकारी समिति और बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) के अधीन परिभाषित सहकारी समिति;

(ग) "शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में विभिन्न कोटि के विद्यालयों के लिए शिक्षा समिति या जिस किसी भी नाम से यह जानी जाय;

(घ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ड.) "निबंधक, सरकारी समितियाँ" से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 तथा बिहार सेल्फ सपोर्टिंग को–ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1996 में परिभाषित निबंधक;

(च) "जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता" से अभिप्रेत है किसी जिला विशेष के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता;

(छ) "अनुमण्डल दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी अनुमण्डल विशेष के लिए नियुक्त एवं अधिसूचित अनुमण्डल दंडाधिकारी;

(ज) "आयुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं अधिसूचित किसी प्रमण्डल का आयुक्त;

(झ) "प्रबन्ध समिति" से अभिप्रेत है सहकारी समिति सहित किसी संस्था/स्थापना/निकाय, चाहे जिस किसी भी नाम से उसे जाना जाए, के प्रशासन के लिए आवश्यकतानुसार गठित प्रबन्ध समिति जिसका गठन राज्य सरकार के किसी अधिनियम, नियमावली, आदेश, अधिसूचना या स्कीम के अधीन आवश्यक हो।

3. **राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन।**— (1) राज्य सरकार, नियत तिथि को एवं से, एक निर्वाचन प्राधिकार का गठन करेगी, जिसका क्षेत्राधिकार इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गई नियमावली में प्रावधानित तरीके से किसी प्रबन्ध समिति के निर्वाचन का संचालन कराना होगा।

(2) राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अध्यक्षता एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और अपने कर्त्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु उसे उतने उप–मुख्य चुनाव पदाधिकारियों की सहायता मिल सकेगी, जितना कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

(3) मुख्य चुनाव पदाधिकारी या तो सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी होगा, जिसे 10 (दस) वर्षों से अन्यून अवधि का प्रशासनिक अनुभव होगा जिसमें से अंतिम तीन वर्ष राज्य सरकार के सचिव पंक्ति एवं स्तर का होना आवश्यक होगा।

(4) मुख्य चुनाव पदाधिकारी की नियुक्ति पाँच वर्षों की कार्यावधि या सत्तर वर्षों की आयु जो भी पहले हो, तक के लिए होगी;

परन्तु यह कि पाँच वर्षों की कार्यावधि का नवीकरण सत्तर वर्षों की आयु तक के लिए राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार मुख्य चुनाव पदाधिकारी की कार्यावधि को समय से पहले समाप्त कर सकेगी, और

समय से पहले कार्यावधि की समाप्ति की स्थिति में वह तीन माह के वेतन एवं भत्ते के बराबर क्षतिपूर्ति का हकदार होगा और उसे अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

4. **पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण।**– (1) निर्वाचन प्राधिकार को सोसाइटी, शिक्षा समिति, या अन्य कोई संस्था, संगठन, स्थापना जैसी निकायों के निर्वाचन, के लिए जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय, मतदाता सूची का निर्माण तथा निर्वाचन संचालन हेतु पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति, प्राधिकारिता तथा अधिकारिता होगी।

(2) कार्यावधि को छोड़कर निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा की शर्त्तें ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार नियमावली के द्वारा विहित करे।

(3) निर्वाचन प्राधिकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर सरकार ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगी, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हो।

5. **निर्वाचन संचालन हेतु प्रशासनिक मशीनरी।**– (1) राज्य सरकार, प्राधिकार द्वारा निर्वाचन संचालन के लिए जब आवश्यक हो, उसे आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध करायेगी।

(2) निर्वाचन संचालन के लिए निर्वाचन प्राधिकार जिला दण्डाधिकारी, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी, जैसा कि वह उचित समझे, को प्रत्येक संस्था, संगठन, स्थापना के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदनामित करेगा और यहाँ तक कि निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक पदाधिकारी को उप–निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में पदनामित करेगा।

(3) राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी संस्था/स्थापना/संगठन या ऐसे निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों पर निगरानी रखने के लिए और ऐसे कार्यों को करने के लिए जैसा कि उसे निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सौंपा जाए, एक पर्यवेक्षक मनोनीत करेगा जो राज्य सरकार का एक पदाधिकारी होगा।

6. **निर्वाचन अपराध।**– *(1) निर्वाचन के सिलसिले में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना*– कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के संबंध में भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध– (1) कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर–

(क) निर्वाचन के संबंध में किसी चुनाव संबंधी जुलूस या आम सभा संबंधी संयोजन, धारण, उपस्थिति, आयोजन या संबोधन नहीं करेगा;

(ख) सिनेमाटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के जरिये किसी निर्वाचन मामले को जनता को नहीं दर्शायेगा; या

(ग) किसी रंगमंच या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन से जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी चुनाव विषयक मामले का प्रसार नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो उप–धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करे, दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में, अभिव्यक्ति "चुनाव मामले" से अभिप्रेत है निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करना या प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रगणित कोई मामला।

(3) *निर्वाचन सभा में बाधा*– (i) कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक सभा में, जिस पर यह धारा लागू होती है, जिस

प्रयोजन के लिए सभा बुलाई गई है, उसके कार्य संव्यवहार को निर्धारित करने के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करता है या किसी अन्य को इसके लिए भड़काता है, छह माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

खण्ड (i) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

स्पष्टीकरण–यह धारा सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि और निर्वाचन की तिथि के मध्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित राजनीतिक प्रकृति की किसी आम सभा पर लागू होती है।

(ii) यदि कोई पुलिस अधिकारी खण्ड (i) के अन्तर्गत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर पर्याप्त रूप से संदेह करता है, यदि सभा के सभापति द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाय तो वह उस व्यक्ति से अपना नाम और पता तुरंत घोषित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि वह व्यक्ति अपने नाम और पते घोषित करने से इंकार करता है या नहीं करता है या यदि पुलिस अधिकारी उस पर गलत नाम या पता देने के लिए पर्याप्त रूप से संदेह करता है, तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(4) *पुस्तिकाओं, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध* – (i) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पते नहीं हों।

(ii) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को तब तक मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा–

(क) जबतक कि उसके प्रकाशन की पहचान के लिए घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित, जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, डुप्लीकेट से मुद्रक को उसके द्वारा परिदत्त नहीं की जाये, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा नहीं भेजी जाए–

(i) जब यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हो तो राज्य निर्वाचन प्राधिकार को, और

(ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला दण्डाधिकारी को जिसमें यह मुद्रित किया गया है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) हाथ द्वारा इसकी प्रतियाँ करने के अलावा दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जायेगा और तद्नुसार अभिव्यक्ति "मुद्रक" की व्याख्या की जायेगी; और

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से अभ्यर्थियों या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित करने या प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन से संबंध रखने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या कार्यकर्त्ताओं के दैनिक निर्देशों या निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को घोषित करने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नहीं होंगे।

(iii) कोई व्यक्ति, जो खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, छह माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(5) *मतदान की गोपनीयता बनाए रखना*– (i) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन की मतों की गणना या उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा, और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन

अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6) *निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे*– (i) कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के संबंध में किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए निर्वाचन अधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी, या निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक हैं, निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य (मत देने के अलावा) नहीं करेगा।

(ii) यथा उपर्युक्त कोई भी व्यक्ति, और पुलिस बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित प्रयास नहीं करेगा–

(क) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना; या

(ख) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत न देने के लिए प्रेरित करना; या

(ग) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना।

(iii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) के या खण्ड (ii) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, छह माह के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(iv) खण्ड (iii) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(7) *मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध*– (i) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(ड.) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iii) इस उप–धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(8) *मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति*– (i) कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता है–

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग करेगा या न चलायेगा, या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छृंखल तरीके से नहीं चिल्लायेगा या अन्यथा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या जिससे मतदान केन्द्र के कर्त्तव्य पर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो,

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसके लिए जान–बूझकर सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(iii) यदि पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा।

(iv) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कदम उठा सकता है और बल का प्रयोग कर सकता है, जो उप–धारा(i) के उपबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, और इस उल्लंघन में प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है।

(9) *मतदान केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति–* (i) कोई व्यक्ति जो मतदान के लिए नियत समय के दौरान किसी मतदान केन्द्र में, पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं करता है या स्वयं अवचार करता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा या कर्त्तव्य पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा।

(ii) खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा, जिससे कि किसी निर्वाचक को जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उसे केन्द्र में मत देने के अवसर नहीं प्राप्त हो सके।

(iii) यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र से हटा दिया गया हो, पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तीन माह के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(iv) खण्ड (iii) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(10) *मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता के लिए शास्ति–* यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है तो उसे जारी मत पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(11) *निर्वाचनों के वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति–* यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में धारा–14 के खण्ड (vi) में यथाविनिर्दिष्ट किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, तो वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(12) *निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्त्तव्य भंग–* (i) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर यह धारा लागू होती हो, अपना पदीय कर्त्तव्य–भंग करते हुए बिना युक्तियुक्त कारण के किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो वह पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(ii) खण्ड (i) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(iii) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी कार्य या लोप के बाबत क्षति के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(iv) यह धारा निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाची पदाधिकारियों, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने या अभ्यर्थिता की वापसी या मतदान लेने अथवा मतगणना करने हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होगी और अभिव्यक्ति "पदीय कर्त्तव्य" की व्याख्या इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार की जायेगी, लेकिन अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्धारित कर्त्तव्यों से अन्यथा अधिरोपित कर्त्तव्य इसमें शामिल नहीं होंगे।

(13) *निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए शास्ति–* यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता